



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in

कार्यालय आदेश संख्या- 177/

राँची दिनांक: 14/12/2018

झारखंड वन विभागीय कर्मचारी समन्वय समिति के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री सुरेन्द्र किशोर शुक्ला, प्रधान लिपिक, कार्यालय- वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग के कार्यालय में प्रधान लिपिक के रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें कोई भी स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

स्थानान्तरित कर्मचारी वेतनादि अपने नवपदस्थापन कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

2. यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

ह0/-

मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन, राँची।

ज्ञापांक- 4447

दिनांक- 14/12/18

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(14/12/2018)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन, राँची।